

अटल पेंशन योजना का तिगुना लाभ उठायें

अटल पेंशन योजना
18-40 वर्ष के सभी भारतीय
नागरिकों के लिए है

अटल पेंशन योजना के
3 निश्चित लाभ:

1

अभिदाता को आजीवन
(₹1000 – ₹5000 तक की)
न्यूनतम गारंटीयुक्त
मासिक पेंशन

2

अभिदाता की मृत्यु होने पर
पति/पत्नी को आजीवन
समान गारंटीयुक्त
पेंशन राशि

3

पति/पत्नी की मृत्यु के बाद
नामिति को ₹1.70 लाख
से ₹8.50 लाख की
पेंशन राशि का भुगतान

(भारत सरकार की एक गारंटीयुक्त पेंशन योजना)

88% भारतीय कामगारों के पास वृद्धावस्था में आय का कोई साधन नहीं होता है और आपको उनमें से एक होने की कोई आवश्यकता नहीं है

अन्य विशेषताएं

- 31 दिसम्बर, 2015 से पहले योजना में शामिल होने वाले योग्य लाभार्थियों को भारत सरकार की ओर से पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष ₹ 1000 /— तक का सह-अंशदान
- ज्यादा प्रतिलाभ होने पर, अभिदाता को गारंटीयुक्त पेंशन राशि से अधिक पेंशन
- मासिक, त्रैमासिक अथवा अर्द्ध वार्षिक भुगतान विकल्प
- 18 से 40 वर्ष के मौजूदा स्वावलम्बन अभिदाता एपीवाई में शामिल हो सकते हैं
- परिवार के लिए अधिक पेंशन प्राप्त करने के लिए परिवार के सभी योग्य सदस्य एपीवाई खाता खोल सकते हैं
- परिवार के एक से अधिक सदस्य योजना में शामिल होकर परिवार को अधिक पेंशन लाभ प्रदान कर सकते हैं

एपीवाई सभी की पेंशन आवश्यकताओं के अनुकूल है, आज ही अपने बैंक के माध्यम से जुड़ें और नियमित रूप से बचत करें।



60 वर्ष की आयु पर जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत, एपीवाई के साथ खुशी-खुशी करें!



“नाबार्ड” द्वारा संधृत वित्तीय
समावेशन निधि के तहत सहायता प्राप्त